न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 09/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री पूनमचन्द पुत्र श्री भाखराराम जाति विश्नोई निवासी रणोदर पुलिस थाना चितलवाना जिला जालोर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री जयकिशन अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2021 को सरहद राजपुरा हाईवे रोड पर एक पिकअप वाहन नं. आरजे 46 जीए 3031 के पीछे रखे 07 प्लास्टिक व 02 लोहे के कुल 09 ड्रमों में लगभग 1800 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन ने वकालतनाम पेश किया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 26.05.2021 को सरहद राजपुरा हाईवे रोड पर श्री पूनमचंद पुत्र श्री भाखराराम जाति विश्नोई निवासी रणोदर थाना चितलवाना जिला जालोर द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 46 जीए 3031 की पिछली बॉडी के अन्दर 07 प्लास्टिक व 02 लोहे के कुल 09 ड्रमों में लगभग 1800 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 1800 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल [illegible] बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उ[illegible] न[illegible]ना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के पेट्रोल का [illegible] भण्डारण करने [illegible] द्वारा उक्त पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्याया[illegible] आदेश नहीं हु[illegible] अतः पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे सम[illegible] थाने में पड़े रहने से [illegible] एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री जयकिशन ने दिनांक 30.07.2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया, उसके उपरान्त उनके द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता बहस हेतु नियम तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि 26.05.2021 को सरहद राजपुरा हाईवे रोड पर श्री पूनमचंद पुत्र श्री भाखराराम जाति विश्नोई निवासी रणोदर थाना चितलवाना जिला जालोर द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 46 जीए 3031 की पिछली बॉडी के अन्दर 07 प्लास्टिक व 02 लोहे के कुल 09 ड्रमों में लगभग 1800 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 1800 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को पालडी की तरफ हाईवे होटलों पर खडे टेंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर तथा आगे ग्राहकों को बेचने के लिए बेकरियों की ओर ले जाना बताया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 1800 लीटर पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1800 लीटर पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने के आदेश इस न्यायालय द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोर्ट/2021/332–333 दिनांक 31.05.2021 को किए जा चुके है। अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही उक्त राशि को उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner